

(TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(ii) OF THE GAZETTE OF INDIA)

**eF. No. 6/2/2022-BO.I/2
Government of India
Ministry of Finance
Department of Financial Services**

New Delhi, dated the 23rd October, 2026
Kartika 1, 1948 (Saka)

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government hereby nominates Ms. Manasa Gangotri Kata (Director, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services) as Director on the Board of Indian Bank, with immediate effect and until further orders, *vice* Shri Samir Kumar.

(Sanjay Kumar Mishra)

Under Secretary to the Government of India

To:

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Industrial Area, Ring Road,
New Delhi.

(भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3 (ii) में प्रकाशनार्थ)

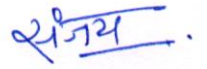
ई फा. सं. 6/2/2022-बीओ. I/2

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, 23 सितंबर, 2026
कार्तिक 1, 1948 (शक)

अधिसूचना

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा सुश्री मानसा गंगोत्री काटा (निदेशक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग) को श्री समीर कुमार के स्थान पर तत्काल प्रभाव से एवं अगले आदेशों तक इंडियन बैंक के बोर्ड में निदेशक नामित करती है।



(संजय कुमार मिश्र)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक
भारत सरकार मुद्रणालय
मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र, रिंग रोड
नई दिल्ली